वस्तुओं, सुविधाओं और सेवाओं के प्रावधानों तथा अन्य सेक्टरों में स्तनपान भेदभाव और उत्पीड़न पर पत्रक

19 जून 2021 से आरंभ, हांगकांग में सभी महिलाओं को लिंग भेदभाव अध्यादेश (SDO) के अंतर्गत स्तनपान भेदभाव और उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान की गई है। यह सुरक्षा रोजगार और संबंधित क्षेत्रों के साथ दूसरे क्षेत्रों को कवर करती है, जो हैं:

- वस्तुएं, सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करना
- शिक्षा
- परिसरों का प्रबंधन और निपटान
- क्लबों में भागीदारी
- सरकार

स्तनपान की परिभाषा

SDO के अंतर्गत, स्तनपान को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

- कोई महिला जो किसी शिशु को स्तनपान करवाने के कार्य में लगी हुई है, चाहे वह शिशु उसका जैविक बच्चा है या नहीं।
- कोई महिला जो स्तनों से दूध एक्सप्रेस करने का कार्य कर रही है।
- कोई महिला जो अपने स्तनों से किसी बच्चे को दूध पिला रही है, परंतु ऐसा वह भेदभाव की कार्रवाई करने के समय नहीं कर रही है।

स्तनपान भेदभाव, उत्पीड़न और अत्याचार क्या है?

स्तनपान भेदभाव, उत्पीड़न और अत्याचार विशिष्ट आचरण के रूप हैं।

प्रत्यक्ष भेदभाव – इसका मतलब है स्तनपान करवाने वाली महिला के साथ अन्य व्यक्ति की अपेक्षा (चाहे स्तनपान नहीं करवाने वाली महिला या पुरूष) तुलनात्मक परिस्थितियों में कम अनुकूल व्यवहार करना, क्योंकि वह महिला स्तनपान करवाती है।

उदाहरण: एमी अपने दोस्तों के साथ एक रेस्त्रां में लंच कर रही है। वह अपने साथ अपने नवजात बच्चे को भी दोस्तों को दिखाने के लिए लाई है। जब वह अपने शिशु को स्तनपान करवाना आरंभ करती है, एक वेटर आता है और एमी को कहता है, "मैडम, आप रेस्त्रां में स्तनपान नहीं करवा सकती हैं। मुझे माफ करें आपको यहां से जाना होगा।" यह रेस्त्रां द्वारा एमी को सेवा करने से इंकार करने पर एक स्तनपान करवाने वाली महिला के साथ गैरकानूनी ढंग से प्रत्यक्ष भेदभाव करने जैसा है।

अप्रत्यक्ष भेदभाव – इसका मतलब है सभी व्यक्तियों पर एक शर्त या आवश्यकता लागू करना, इसका ध्यान रखे बगैर कि वे स्तनपान करवाती हैं या नहीं, परंतु:

- जो इसका पालन कर सकती हैं उन स्तनपान करवाने वाली महिलाओं का अनुपात स्तनपान नहीं करवाने वाले उन व्यक्तियों के अनुपात से काफी कम है जो इसका पालन कर सकते हैं;
- यह शर्त या आवश्यकता न्यायोचित नहीं है; और
- यह शर्त या आवश्यकता एक स्तनपान करवाने वाली महिला के लिए नुक़सानदायक है, क्योंकि वह इसका अनुपालन नहीं कर सकती है।

उदाहरण: एक शॉपिंग सेंटर की नीति है कि सुविधाओं के तोड़-फोड़ या अनुचित उद्देश्यों में प्रयोग होने से बचाव के लिए इसके सभी शौचालयों और शिशु देखभाल कमरों को सारा समय तालाबंद रखा जाए, यद्यपि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। कोई भी व्यक्ति जो इन सुविधाओं का इस्तेमाल करना चाहता है उसे प्रबंधन ऑफिस में जाकर कमरों को खोलने के लिए चाबी(यां) लेना होगा, और इस्तेमाल के बाद चाबी वापस करनी होंगी। यह नवजात शिशुओं के साथ जाने वाली महिलाओं के लिए काफी असुविधाजनक है, क्योंकि मैंनेजमेंट का ऑफिस शौचालयों और शिशुदेखभाल कमरे से काफी दूर स्थित है। यद्यपि शौचालयों और शिशु देखभाल कमरों को तालाबंद रखने की शर्त प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होती है, यह संभव है कि इसका स्तनपान करवाने वाली महिलाओं पर हानिकारक प्रभाव होता है, और एक गैरकानूनी अप्रत्यक्ष स्तनपान भेदभाव निर्मित करता है।

स्तनपान उत्पीड़न – महिलाओं द्वारा स्तनपान करवाने पर उत्पीड़न के दो रूप होते हैं। यह उस समय लागू होता है जब निम्न तरीकों से कोई व्यक्ति इस आधार पर एक महिला का उत्पीड़न करता है कि महिला स्तनपान करवाती है:

- स्तनपान करवाने वाली महिला के प्रति अवांछित व्यवहार
  जब कोई व्यक्ति अवांछित व्यवहार में शामिल होता है, जो एक न्यायसंगत व्यक्ति सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगाता है कि महिला उस व्यवहार से आहत, अपमानित या भयभीत होगी।

- एक प्रतिकूल या डरावना माहौल बनाना
  कोई व्यक्ति अकेले, या अन्य लोगों के साथ मिलकर ऐसे व्यवहार में शामिल होता है जो महिला के प्रति एक प्रतिकूल या डरावना माहौल बनाता है।

ऐसे व्यवहार में शामिल है एक महिला को या उसकी उपस्थिति में कोई कथन कहना, चाहे वह कथन मौखिक या लिखित रूप में हो।

उदाहरण: जेनी और उनके पति अपने नवजात शिशु के साथ एक रेस्त्रां में जाते हैं। वे जैसे ही रेस्त्रां में बैठते हैं जेनी अपने शिशु को स्तनपान करवाना आरंभ कर देती है। जब जेनी स्तनपान करवा रही है उसे दो वेटर उसके बारे में बातचीत करते हुए यह कहते हुए सुनाई देते हैं, **"…..** यह घृणित है कि कैसे कुछ महिलाएं सार्वजनिक क्षेत्र में स्तनपान कराना चाहती हैं"। फिर एक वेटर जेनी के पास पहुँच कर उसे कहता है, " …..हमारे रेस्त्रां में स्तनपान करवाना अशोभनीय है क्योंकि इससे दूसरे ग्राहक नाराज हो सकते हैं"। इससे जेनी आहत और अपमानित महसूस कर सकती है और यह गैरकानूनी स्तनपान उत्पीड़न जैसा है क्योंकि जेनी रेस्त्रां की सेवा उपयोगकर्ता है।

अत्याचार – इसका मतलब है एक व्यक्ति (भेदभाव करने वाला) दूसरे व्यक्ति (पीड़ित व्यक्ति) के साथ औरों की अपेक्षा तुलनात्मक परिस्थितियों में कम अनुकूल व्यवहार करता है क्योंकि उस पीड़ित व्यक्ति ने निम्नलिखित किया है या उसका करने का इरादा था या उसके द्वारा ऐसा करने या इरादा होने की आशंका है:

- आरोप लगाती है कि भेदभाव या उत्पीड़न करने वाले या अन्य व्यक्ति ने SDO के अंतर्गत गैरकानूनी ढंग से स्तनपान भेदभाव किया है;
- भेदभाव या उत्पीड़न करने वाले या अन्य व्यक्ति पर SDO के अंतर्गत गैरकानूनी ढंग से स्तनपान भेदभाव करने के लिए कानूनी कार्रवाई करती है;
- भेदभाव या उत्पीड़न करने वाले या अन्य व्यक्ति पर SDO के अंतर्गत गैरकानूनी ढंग से स्तनपान भेदभाव करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने पर इसके संबंध में सबूत या जानकारी प्रदान करते हैं; या
- अन्यथा भेदभाव या उत्पीड़न करने वाले या अन्य व्यक्ति के संबंध में SDO के अंतर्गत स्तनपान भेदभाव के प्रावधानों के संदर्भ में अन्य कोई भी कार्रवाई करते हैं।

उदाहरण: जूडी हांगकांग में एक कंट्री क्लब की सदस्य है। उसने और उसके पति ने अभी हाल ही में एक शिशु बच्चे को गोद लिया है और अपने शिशु के साथ भोजन करने के लिए कंट्री क्लब में जाते हैं। जब जूडी कंट्री क्लब में अपने बच्चे को स्तनपान करवाना आरंभ करती है, एक कर्मचारी उसको कहता है कि क्लब में स्तनपान करवाने की अनुमति नहीं है क्योंकि अन्य सदस्य शिकायत कर सकते हैं। जूडी उसे स्तनपान करवाने की अनुमति नहीं देने के कारण क्लब के विरूद्ध स्तनपान भेदभाव की शिकायत करती है। क्लब अनेक सप्ताह के बाद एक पत्र में प्रतिक्रिया देता है, उसके भेदभाव के मामले का समाधान करने के बजाय यह बताया जाता है कि उसकी शिकायत तर्कसंगत नहीं होने के कारण जूडी की क्लब सदस्यता समाप्त की जाती है। यह प्रत्यक्ष स्तनपान भेदभाव करने और गैरकानूनी उत्पीड़न करने जैसा है।

नियोक्ता और प्रमुख लोगों का उत्तरदायित्व: नियोक्ता अपने कर्मचारियों के द्वारा भेदभाव करने के कार्यों के प्रति जिम्मेदार हैं, जो उनके रोजगार के दौरान किए गए हैं, चाहे वे नियोक्ता की अनुमति या जानकारी के साथ या इसके बगैर किए गए हैं। नियोक्ता अपने कर्मचारी के भादभावी कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जब तक नियोक्ता यह सिद्ध नहीं करता/ती है कि उसने कर्मचारी को ऐसे कार्य करने से रोकथाम के लिए तर्कसंगत कदम उठाए हैं।

इसके साथ ही, किसी व्यक्ति द्वारा एक मुखिया के एजेंट के रूप में मुखिया के अधिकार सहित किए गए कार्य को (चाहे प्रकट या निहित, और चाहे पहले या बाद में) उस मुखिया द्वारा किया गया माना जाएगा।

भेदभाव करने के लिए निर्देश और दबाव: यह एक व्यक्ति के लिए गैरकानूनी है कि स्तनपान के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति को भेदभाव करने का निर्देश दे, या दबाव डाले।

गैरकानूनी कार्यों में सहयोग करना: कोई व्यक्ति जो जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति की SDO के अंतर्गत स्तनपान भेदभाव से जुड़े गैरकानूनी कार्य में सहायता करता है, उसके साथ SDO के प्रयोजन से स्वयं गैरकानूनी कार्य करने के रूप में व्यवहार किया जाएगा।

सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करना

SDO के अंतर्गत, समाज या समाज के एक हिस्से के लिए वस्तुएं, सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने से संबंधित (भुगतान पर या इसके बगैर) किसी व्यक्ति के लिए यह गैरकानूनी है कि वह स्तनपान करवाने वाली किसी महिला के साथ इस आधार पर भेदभाव, निम्न तरीके से करे:

- उसे वस्तुएं, सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने से इन्कार करना या जानबूझकर चूकना; या
- उसे समान गुणवत्ता वाली, या वैसे ही समान तरीके और समान शर्तों पर वस्तुएं, सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने से इन्कार करना या जानबूझकर चूकना जैसे जनता में सामान्य रूप से पुरूष सदस्यों के लिए किए जाते हैं।

एक व्यक्ति द्वारा किसी महिला के साथ स्तनपान करवाने के आधार पर उत्पीड़न करना गैरकानूनी है:

- एक महिला को वस्तुएं, सुविधाएं या सेवाएं प्रदान करने, प्रदान करने के प्रस्ताव के दौरान , या
- एक महिला द्वारा वस्तुएं, सुविधाएं या सेवाएं प्रदान करने की इच्छा में, या उसके द्वारा प्रदान की जा रही वस्तुएं, सुविधाएं या सेवाओं के दौरान

सुविधाओं और सेवाओं के उदाहरण

- किसी स्थान तक पहुँच और उसका इस्तेमाल, जहां जनता या जनता के एक हिस्से को प्रवेश करने की अनुमति है;
- होटल, गेस्टहाऊस या अन्य समान इकाई में आवास;
- बैंकिंग, बीमा के माध्यम से फेसिलीटीज या अनुदान, ऋण, क्रेडिट या वित्त;
- शिक्षा के लिए सुविधाएँ;
- मनोरंजन, मनबहलाव या जलपान के लिए सुविधाएँ;
- परिवहन या यात्रा के लिए सुविधाएँ;
- किसी व्यवसाय या व्यापार की सेवाएं; और
- सरकार के किसी विभाग, या सरकार के या इसके द्वारा किसी उपक्रम की सेवाएं।

उदाहरण: साराह अपनी शिशु बेटी को पार्क में लाती है। जब शिशु बेचैन होती है तो साराह को लगता है कि उसे भूख लगी है। वह पार्क में एक बेंच पर बैठ जाती है और अपनी बेटी को स्तनपान करवाना आरंभ करती है। पार्क में एक सुरक्षा अधिकारी साराह को स्तनपान करवाते हुए देखता है और उसे बताता है कि पार्क में एक शिशु देखभाल कमरा है। उसे पार्क के खुले क्षेत्र में स्तनपान करवाने के बजाय शिशु देखभाल

कमरे का उपयोग करना चाहिए। साराह इंकार कर देती है और कहती है कि वह स्तनपान करवाने की प्रक्रिया के बीच में है। सुरक्षा अधिकारी साराह को इसे रोकने और तुरंत पार्क को छोड़कर जाने के लिए कहता है। यह प्रत्यक्ष स्तनपान भेदभाव करने जैसा है। यद्यपि वहां एक शिशु देखभाल सुविधा है और बहुत सी महिलाएं इसके इस्तेमाल को प्राथमिकता देती हैं, स्तनपान करवाने वाली महिला इसके इस्तेमाल करने को बाध्य नहीं है। स्तनपान करवाने वाली महिला को एक शिशु देखभाल सुविधा के बजाय पब्लिक में स्तनपान करवाने का हक प्राप्त है।

वस्तु, सुविधा और सेवा प्रदाताओं के लिए सही कार्य पद्धतियां

1. स्तनपान पर एक लिखित नीति तैयार करना

स्तनपान पर संगठन की एक नीति तैयार करें जिसमें स्तनपान का समर्थन करने और स्तनपान के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए संगठन की प्रतिबद्धता निश्चित हो।

2. स्तनपान के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करना

उन माताओं के लिए ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करें जो एकांत में स्तनपान करवाना चाहती हैं और उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध करवाएं।

3. स्टाफ के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था

प्रत्येक स्टाफ सदस्य को संगठन की स्तनपान के अनुकूल वातावरण प्रदान करने की नीति और कार्यपद्धति के बारे में बताएं। सुनिश्चित करें कि स्टाफ के सदस्य नीति से परिचित हों, उन्हें स्तनपान करवाने के स्थानों और सुविधाओं की जानकारी हो, और वे स्तनपान करवाने के सामान्य परिदृश्य का प्रबंधन करने में सक्षम हों।

4. स्तनपान की नीति और उपायों को प्रकाशित करें

स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को जरूरत पड़ने पर स्तनपान सुविधाओं को खोजने और इस्तेमाल करने में सक्षम बनाने के लिए स्तनपान करवाने के अनुकूल उपायों और सुविधाओं का प्रचार संगठन की वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज के माध्यम से करें।

शिशु देखभाल और दुग्धपान सुविधाएं स्थापित करना

SDO स्तनपान करवाने वाली महिलाओं के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के प्रकारों को निर्धारित नहीं करता है। इसके बजाय, सरकार की अनुशंसा है कि वाणिज्यिक भवनों में शिशु देखभाल और स्तनपान करवाने वाली महिलाओं के लिए शिशु देखभाल और दुग्धपान कमरे उपलब्ध करवाने चाहिएं।

बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने वाणिज्यिक भवनों में शिशु देखभाल और स्तनपान कमरों के प्रावधान के संबंध में विशिष्ट निर्देश[1] प्रदान किए हैं, जिसमें शिशु देखभाल कमरों की संख्या भवन के पैमाने, रहने वालों और

[1] The Practice Note for Authorised Persons, Registered Structural Engineer and Registered Geotechnical Engineers, Provision of Babycare Rooms and Lactation Rooms in Commercial Buildings, ADV-32, revised November 2018

आगुंतकों की जरूरत पर आधारित होने, और प्रत्येक भवन में कम से कम एक कमरा उपलब्ध करवाए जाने की सलाह दी है।

यह मार्गदर्शन उन कमरों के स्थान, कमरे के आकार और रूपरेखा, सामान्य डिजाइन शर्तों के साथ प्रचालन और रखरखाव के बारे में भी सिफारिशें प्रदान करता है। वस्तु, सुविधा और सेवा प्रदाताओं को शिशु देखभाल और दुग्धपान सुविधाएं स्थापित करने से पहले बिल्डिंग डिपार्टमेंट के मार्गदर्शन का संदर्भ लेने की सलाह दी जाती है। किसी भी स्थिति में शैचालय और बाथरूम स्वच्छता के कारणों से स्तनपान के लिए उपयुक्त सुविधाएं नहीं हो सकती हैं।

अन्य क्षेत्रों में स्तनपान भेदभाव और उत्पीड़न

शिक्षा

विश्वविद्यालयों, वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थानों या कालेजों सहित शैक्षणिक इकाईयों के लिए स्तनपान करवाने वाली महिला के विरूद्ध भेदभाव करना गैरकानूनी है:

- महिला को एक विद्यार्थी के रूप में दाखिला देने की शर्तों में; या
- एक विद्याार्थी के रूप में उस इकाई में उसके दाखिले का आवेदन स्वीकार करने से इंकार करना या जानबूझकर हटाना;

जहां स्तनपान करवाने वाली महिला उस इकाई में एक विद्यार्थी है, उस महिला के विरूद्ध भेदभाव करना उस इकाई के लिए गैरकानूनी है:

- किसी लाभ, सुविधाओं या सेवाओं तक उसकी पहुँच के तरीके में, या उन तक उसकी पहुँच को इंकार करने या जानबूझकर हटाने के द्वारा; या
- उसे इकाई से बाहर करके या उसे किसी अन्य नुक़सान करने के द्वारा।

शैक्षणिक इकाईयों के लिए निम्नलिखित स्थितियों में भी स्तनपान करवाने वाली महिला के विरूद्ध भेदभाव करना गैरकानूनी है:

- शैक्षणिक इकाई के जिम्मेदार निकाय द्वारा एक महिला का उत्पीड़न करना जो इकाई की एक विद्यार्थी है , या विद्यार्थी होना चाहती है;
- एक शैक्षणिक इकाई के स्टाफ के सदस्य द्वारा किसी महिला का उत्पीड़न करना जो इकाई की एक विद्यार्थी है , या विद्यार्थी होना चाहती है;
- एक शैक्षणिक इकाई के विद्यार्थी द्वारा किसी महिला का उत्पीड़न करना जो इकाई की एक विद्यार्थी है , या विद्यार्थी होना चाहती है;
- एक व्यक्ति जो शैक्षणिक इकाई का विद्यार्थी है, या विद्यार्थी होना चाहता है; उसके द्वारा एक महिला जो शैक्षणिक इकाई के लिए जिम्मेदार है (या एक सदस्य है) , या इकाई के स्टाफ का सदस्य है, का उत्पीड़न करना।

परिसरों का प्रबंधन और निपटान

हांगकांग में परिसरों के संबंध में जिनके निपटान करने का उनके पास अधिकार है (बिक्री, किराये, सौंपने या सबलेट करने सहित), किसी व्यक्ति के लिए यह कानून विरूद्ध है कि एक स्तनपान करवाने वाली महिला के विरूद्ध भेदभाव करे:

- उन शर्तों में जिन पर वह उन परिसरों को उसे पेशकश करता है;
- उन परिसरों के लिए उसके आवेदन को इंकार करने के द्वारा; या
- उस विवरण के परिसरों की जरूरतों वाले व्यक्तियों की तुलना में उसके प्रति व्यवहार के द्वारा।

मकानमालिक या अन्य व्यक्ति द्वारा भी एक स्तनपान करवाने वाली महिला के लिए परिसर के निपटान के लिए लाइसेंस या सहमति को रोकने के द्वारा भेदभाव करना गैरकानूनी है, जहां निपटान के लिए उस मकानमालिक या अन्य व्यक्ति से लाइसेंस या सहमति आवश्यक है (उदाहरण किरायेदारी या सबलेट करने का आवंटन)।

परिसरों के संबंध में निम्न भी गैरकानूनी है:

- परिसर के संबंध में एक व्यक्ति जिसके पास परिसर के निपटान का अधिकार है, स्तनपान करवाने वाली महिला का उत्पीड़न उसे उन परिसरों को प्रदान करने के पेशकश करने या प्रदान करने के दौरान करता है;
- परिसरों का प्रबंधन करने वाला कोई व्यक्ति जो परिसर में रह रही स्तनपान करवाने वाली महिला का उत्पीड़न करता है; या
- किरायेदारी के संबंध में, स्तनपान करवाने वाली महिला का उत्पीड़न करना जो उसे परिसर के निपटान का लाइसेंस या सहमति चाहती है, जहां परिसर को किसी व्यक्ति को निपटान करने के लिए मालिक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लाइसेंस या सहमति प्रदान करना आवश्यक है।

क्लबों में भागीदारी

एक क्लब, या क्लब की प्रबंधन समिति या क्लब की प्रबंधन समिति के किसी सदस्य द्वारा एक संभावित महिला सदस्य जो स्तनपान करवाती है, उसके विरूद्ध ऐसा भेदभाव करना गैरकानूनी है:

- सदस्यता के लिए उसके आवेदन को इंकार करना या असफल करना; या
- उन नियमों और शर्तों में जिन पर क्लब उसको सदस्यता देने के लिए तैयार है।

मौजूदा सदस्यों के संबंध में, एक क्लब, या क्लब की प्रबंधन समिति या क्लब की प्रबंधन समिति के किसी सदस्य द्वारा एक महिला जो स्तनपान करवाती है और सदस्य है, उसके विरूद्ध ऐसा भेदभाव करना गैरकानूनी है:

- उसको दिए गए सदस्यता के नियमों और शर्तों में;
- एक विशिष्ट क्लास या सदस्यता के प्रकार के लिए उसके आवेदन को इंकार करना या असफल करना;

- क्लब द्वारा प्रदान किए जाने वाले किसी लाभ, सेवा या सुविधा तक उसकी पहुँच को इंकार करना, या उसकी पहुँच को सीमित करना;
- सदस्यता की शर्तों में अंतर करके उसे संदस्यता से वंचित करना; या
- उसको कोई अन्य नुक़सान के द्वारा

एक क्लब, क्लब की प्रबंधन कमेटी, या क्लब की प्रबंधन कमेटी के किसी सदस्य द्वारा किसी महिला का उत्पीड़न करना जो क्लब की सदस्य है या उसने सदस्या बनने के लिए आवेदन किया है।

सरकार

सरकार के लिए यह गैरकानूनी है कि एक स्तनपान करवाने वाली महिला के विरूद्ध इसके कार्यो या शक्तियों का उपयोग करने, और वस्तुएं, सुविधाएं या सेवाएं प्रदान करने, या शिक्षा प्रदान करने में भेदभाव करे।

स्तनपान के अनुकूल वातावरण बनाना

यह करें

- ✓ किसी भी समय, कहीं भी एक माता के स्तनपान करवाने की स्वतंत्रता का सम्मान करें।
- ✓ एक स्तनपान करवा रही माता को परेशान ना करें सिवाय तब जब वहां सुरक्षा चिंता या रास्ते में रूकावट नहीं हो।
- ✓ एक माता जो स्तनपान करवाते हुए ज्यादा एकान्तता की इच्छुक हो उसे अधिक उपयुक्त स्थान की पेशकश करें।
- ✓ अन्य ग्राहकों या सेवा उपयोगकर्ताओं को स्तनपान करवाने वाली महिलाओं और शिशुओं की आवश्यकताएं समझाएं।

यह मत करें

- ✗ एक स्तनपान करवा रही महिला को इसे रोकने, ढकने या परिसर छोड़ने के लिए कहना।
- ✗ इस बात पर जोर देना कि माता को परिसर में शिशु देखभाल कमरे में जाना चाहिए।
- ✗ माताओं को उनके शिशुओं को टॉयलेट में जाकर स्तनपान करवाने के लिए कहना।

स्तनपान करवाने के अनुकूल वातावरण स्थापित करने के स्रोत:

- रोजगार और संबंधित क्षेत्रों में स्तनपान पर मार्गदर्शन, EOC
- वस्तुएं, सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने में स्तनपान पर मार्गदर्शन, EOC
- स्तनपान अनुकूल परिसर स्थापित करने पर गाइड, स्वास्थ्य विभाग
- अधिकृत व्यक्तियों के लिए प्रैक्टिस नोट, रजिस्टर्ड स्ट्रक्चरल इंजिनीयर और रजिस्टर्ड ज्योटैक्निकल इंजीनियर, वाणिज्यिक भवनों में शिशु देखभाल कमरों और दुग्धपान कमरों के प्रावधान, ADV-32, बिल्डिंग डिपार्टमेंट

क्या करें यदि आप स्तनपान भेदभाव या उत्पीड़न से पीड़ित हैं?

कोई भी महिला जिसे लगता है कि उसके साथ उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों में स्तनपान करवाने के आधार पर भेदभाव या उत्पीड़न किया गया है वह EOC को **लिखित रूप में** शिकायत दर्ज करवा सकती है और शिकायत EOC को निम्नलिखित चैनलों में से किसी के द्वारा भेज सकती है:

- डाक द्वारा पत्र
- EOC वेबसाइट पर ऑनलाइन फार्म
- फैक्स
- EOC ऑफिस में व्यक्तिगत रूप से

भेदभाव-रोधी अध्यादेशों के संबंध में पूछताछ: On-line Enquiry Form

भेदभाव-रोधी अध्यादेशों के संबंध में शिकायत: On-line Complaint Form

EOC की सेवाओं के संबंध में पूछताछ और शिकायत: On-line Form

अधिक जानकारी के लिए, कृपया संपर्क करें:

समान अवसर आयोग

(Equal Opportunities Commission)

टेली: (852) 2511 8211 (केवल सामान्य पूछताछ के लिए)

फैक्स: (852) 2511 8142

पता: 16/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong.

ईमेल: eoc@eoc.org.hk (केवल सामान्य पूछताछ के लिए)

SMS सेवाएं: 6972566616538 (सुनने में असामान्य/बोलने में असामान्य लोगों द्वारा पूछताछ के लिए)

(भेदभाव-रोधी अध्यादेशों के अंतर्गत पूछताछ और शिकायतों के लिए, कृपया उपरोक्त ऑनलाइन फार्मों का उपयोग करें।)

平 等 機 會 委 員 會
EQUAL OPPORTUNITIES COMMISSION

अप्रेल 2021

नोट: यह पत्रक केवल संदर्भ के लिए है और इसे कानूनी परामर्श के विकल्प के रूप में नहीं लेना चाहिए।